प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुर**थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022**.....
प्र0इ0रि0 सं. 444 **/2022**.....दिनांक 18-11-2022.....

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण**(संशोधन)अधि. 2018**..... धाराये.....**7,7ए**
(II) * अधिनियम .....**भा. दं. सं**.....धारायें .....120 बी.....
(III) * अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....311..... समय 6.00 P.M.
(ब) * अपराध घटने का वार.....**गुरूवार**....दिनांकः—17.11.2022 समय ..... **से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **15.11.2022**

4. सूचना की किस्म :— लिखित / मौखिक—**लिखित**

5. घटनास्थल :—
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः—उत्तर दूरी लगभग 80 किलोमीटर
(ब)*पता..... .....
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :—
(अ) नाम **श्री दूलचन्द** .....
(ब) पिता / पति का नाम .....**श्री श्याम सुन्दर कुमावत**
(स) जन्म तिथी / वर्ष वर्ष.....**उम्र .....32... साल**.....
(द) राष्ट्रीयता .....**भारतीय**.....
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय .....

(ल)पता — मु0पो0 भोजपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : —

1—श्री राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य आरक्षक नं0 103, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

2— श्री सोहनलाल सैनी पुत्र श्री प्रहलाद मल सैनी जाति माली उम्र 57 साल निवासी ग्राम पोस्ट नांगल भीम वार्ड नं0 07, तहसील व पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल अधिवक्ता न्यायालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :—.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).**रिश्वती राशि 40,000 / — रूपये,**

A

10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 40,000/–रूपये**

11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 15.11.2022 को समय करीब 06:00 पीएम पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर ने मन् निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय में बुलाकर अपने समक्ष बैठे व्यक्ति का परिचय परिवादी श्री दूलचन्द के रूप में करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित आदेश प्रदान किये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस उक्त परिवादी श्री दूलचन्द को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि परिवादी ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि "पूलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दिनांक 24–8–2022 को दर्ज हमारे समाज बन्धू राजेन्द्र कुमावत तथा प्रहलाद कुमावत की और से एफआईआर नम्बर 435 और 436 में आपस में राजीनामा करवाने के लिए दिनांक 29.08.2022 को मैं मेरे समाज के पंच पटेलों के आग्रह से ग्राम रतनपूरा में दोनों तीनों पक्षों के घर जाकर समझाईस की गई थी जहां राजीनामा की सम्भावना नहीं होने के कारण मैं वापस आ गया था। उसके बाद दिनांक 30.08.2022 को मेरे विरूद्ध छेड़छाड़ की रिपोर्ट बजरंग लाल कुमावत ने अपनी बेटी के मार्फत एफ आई आर नम्बर 452/2022 दर्ज कर करवायी जिसका अनुसंधान राजेन्द्र गुर्जर, एचसी कर रहा है। उक्त एफआईआर में मेरे विरूद्ध चालान पेश नहीं कर एफआर देने के लिए दलाल श्री सोहन लाल सैनी के मार्फत रामस्वरूप गुर्जर एचसी एवं राजेन्द्र गुर्जर,एचसी 40,000/–रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं।मैं इनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हुँ, रंगे हाथों पकड़वाना चाहाता हुँ। मेरा इनसे उधार का कोई लेन–देन नहीं है और कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करावें।" जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया जाकर परिवादी दूलचन्द से मजीद दरियाफ्त की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग सत्यापन का पाया जाने पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व रिश्वत मांग सत्यापन की आवश्यकता होने पर मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री कमलेश कानि0 293 से परिवादी का परिचय करवाकर उक्त कानि0 से कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की परिवादी को आवश्यक समझाईस की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री दुलचन्द ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि संदिग्ध मेरे से मोबाईल फोन पर ही रिश्वत की मांग कर सकते है। जिस पर समय 06.52 पीएम पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू करवाकर परिवादी श्री दुलचंद के मोबाईल नम्बर 9571318895 से संदिग्ध आरोपी श्री सोहनलाल सैनी के मोबाईल नम्बर 9413070941 पर परिवादी का मोबाईल फोन का लाउडस्पीकर ऑन कर वार्ता करवायी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को बन्द किया जाकर रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया। इसी दौरान समय 07.19 पीएम पर संदिग्ध आरोपी श्री सोहनलाल सैनी के मोबाईल नम्बर 9413070941 से परिवादी श्री दुलचंद के मोबाईल नम्बर 9571318895 पर कॉल आया जिस पर परिवादी के मोबाईल फोन का लाउडस्पीकर ऑन कर वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। परिवादी ने बताया कि राजेन्द्र गुर्जर एचसी भी सोहन लाल दलाल से हुई एफआर लगाने एवं मुझसे चालीस हजार रूपये रिश्वत राशि मांगी जाने के सम्बन्ध में वार्ता कर सकता है क्योंकि पूर्व में श्री सोहन लाल दलाल ने राजेन्द्र गुर्जर एचसी के सामने थाने में ही मुझसे रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता करवाई थी। इस पर समय 07.14 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9571318895 से संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर एचसी के मोबाईल नम्बर 9511598934 पर कॉल कराया लेकिन वार्ता नहीं हो पायी। परिवादी से दरियाफ्त के दौरान समय 07.48 पीएम पर संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर के मोबाईल नम्बर 9511598934 से परिवादी के मोबाईल नम्बर पर कॉल आया जिस पर परिवादी के मोबाईल फोन का लाउडस्पीकर ऑन कर आपस में हुई वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय 07.51 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9571318895 से संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर के मोबाईल नम्बर 9511598934 पर लाउडस्पीकर ऑन कर वार्ता करवायी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया।तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक

द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना के तथ्यों की ताईद होना पाया गया। तत्पश्चात परिवादी को दिनांक 16.11.2022 को संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर समय करीब 09.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया। कल दिनांक 16.11.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने से कार्यालय हाजा द्वारा पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री कमल सैनी व श्री गणेश राम सैनी को दिनांक 16.11.2022 को समय 9.30 एएम पर कार्यालय पहुॅचने की हिदायत की गई।

दिनांक 16.11.2022 को परिवादी एवं गवाहान उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिवादी का परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान से परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही के सम्बंध में अवगत कराया जाकर कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनों गवाहान ने अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को संदिग्ध कर्मचारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बंध में कहने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दूलचन्द ने अपने पास से संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वती राशि 40,000/–रूपये जिनमें पांच–पांच सौ रूपये के 80 नोट कुल चालीस हजार रूपये निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। इन नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। इन नोटो के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। कार्यालय में उपस्थित श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त पांच–पांच सौ रूपये के 80 नोटों पर श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री गणेश राम सैनी, तकनीकी सहायक से परिवादी श्री दूलचन्द की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्री हिमांन्शु शर्मा से परिवादी के पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 40,000/–रू. संदिग्ध कर्मचारी/अधिकारी को देने हेतु रखवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पाउडर तथा सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 02:30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस मय श्री अमित ढाका कानि. 489, श्री सुभाष मील, कानि.465, श्री मनीष सिंह कानि.486 व स्वतंत्र गवाहान श्री गणेश राम सैनी मय सरकारी वाहन एवं श्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस, श्री पन्नालाल, 09, श्री दीपेन्द्र सिंह कानि.365 मय सरकारी वाहन मय चालक के रवाना कर उनके पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक रघुवीर शरण मय परिवादी श्री दुलचंद, स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री कमल सैनी व श्री कमलेश कानि.293 के परिवादी का निजी वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, कागज के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से श्रीमाधोपुर जिला सीकर को रवाना होकर समय 04:10 पीएम पर जालपाली मोड़ श्रीमाधोपुर जिला सीकर पहुॅचा, जहां पर श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस मय श्री अमित ढाका कानि.489, श्री सुभाष मील, कानि.465, श्री मनीष सिंह कानि.486 व स्वतंत्र गवाहान श्री गणेश राम सैनी मय सरकारी वाहन एवं श्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस, श्री पन्नालाल, 09, श्री दीपेन्द्र सिंह कानि.365 मय सरकारी वाहन मय चालक के उपस्थित मिले। वाहनों को साईड में खड़ा करवाकर कानि. श्री कमलेश 293 से परिवादी श्री दुलचंद को पूर्व में सुपुर्द डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध आरोपी श्री सोहन लाल सैनी के मोबाईल नम्बर 9413070941 पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9571318895 से कॉल करवाया गया, परन्तु संदिग्ध आरोपी श्री सोहन लाल ने कॉल रिसीव नहीं किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के वहीं आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए संदिग्ध अधिकारी के कॉल के इन्तजार में मुकिम हुए। संदिग्ध अधिकारी/ दलाल का मोबाईल फोन वापस नहीं आने पर परिवादी ने कहा कि शायद व्हाटसएप पर बात कर ले। इस पर समय 04. 30 पीएम पर परिवादी ने अपने मोबाईल फोन से संदिग्ध दलाल श्री सोहन लाल के मोबाईल फोन पर व्हाटसएप पर वाईस कॉल की जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। परिवादी ने बताया कि समयाभाव के कारण श्री सोहन लाल सैनी ने थोड़ी देर बाद या कल बुलाया है। इस पर संदिग्ध दलाल श्री सोहन लाल सैनी

के फोन के इंतजार में मुकिम रहे। समय 07:20 पीएम तक संदिग्ध अधिकारी/दलाल के कॉल का इन्तजार करने पर भी संदिग्ध अधिकारी का कोई कॉल नहीं आने पर ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में श्री कमलेश कानि0 से परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 80 नोट कुल राशि 40,000 रूपये निकलवाकर उसे ट्रेप बॉक्स से एक खाली लिफाफा निकालकर उसमें रखवायी गई एवं परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर रिश्वती राशि एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित मेरे स्वयं के कब्जे में सुरक्षा की दृष्टी से ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया। तत्पश्चात परिवादी को वहीं छोड़कर गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब कर बताया कि जैसे ही संदिग्ध अधिकारी आपसे रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में सम्पर्क करते हैं आप तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित कर अविलम्ब ब्यूरो मुख्यालय पर उपस्थित आवें। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय चालक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, कागज के श्रीमाधोपुर जिला सीकर से रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचे। स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 80 नोट कुल राशि 40,000 रूपये ट्रेप बॉक्स में एक लिफाफा में रखी गई थी को एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को श्री कमलेश कानि.293 से बाहर निकलवाकर सुरक्षित मेरे स्वयं के कब्जे में सुरक्षा की दृष्टी कार्यालय की अलमारी में रखवायी गई एवं स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर कॉल करने पर तुरन्त ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

दिनांक 17.11.2022 को समय 11:52 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादी श्री दुलचन्द ने फोन कर बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री सोहन लाल अब मुझसे 40,000/–रूपये मांग रहा है व रिश्वती राशि के लेकर मुझे बुला रहा है। जिसको मैंने शाम को पैसे देने के लिए कहा है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आने की हिदायत की एवं हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये। समय 03.10 पीएम पर परिवादी श्री दुलचन्द उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया व दरियाफ्त पर पूर्व की बात दोहराई। जिस पर समय कम होने से पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान को चौदह नम्बर पुलिया, दिल्ली बाईपास सीकर रोड़, जयपुर के पास उपस्थित मिलने की हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी की जामा तलाशी श्री कमलेश कानि. से लिवाई जाकर परिवादी के पास उसकी गाड़ी की चाबी व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात कार्यालय में पदस्थापित श्री हिमांन्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में तलब कर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित लिफाफे में रखी फिनाफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 80 नोट कुल राशि 40,000/–रूपये बाहर निकलवाकर लिफाफे से बाहर निकलवाकर परिवादी के पहने हुए पेंट की सामने की दाहिनी जेब रखवायी गई। तत्पश्चात परिवादी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर वॉईस जो पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान काम में लिया गया था, को जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डिग सेव है को चालू व बन्द करने की प्रकिया समझाईस की जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत राशि लेन–देन के समय संदिग्ध व उसके मध्य होने वाली बातचीत को उक्त रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात समय 04:25 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री दुलचन्द, श्री मनीष सिंह कानि. 486, श्री कमलेश कानि. 293, श्री अमित ढाका कानि. 489, श्री सुभाष मील, कानि. 465 श्री पन्नालाल कानि. 09 एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस मय सरकारी वाहनों व चालक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, कागज के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से श्रीमाधोपुर जिला सीकर को रवाना होकर समय 05:00 पीएम पर चौदह नम्बर पुलिया, सीकर रोड पर पहुंचा। जहां से पूर्व से तलबिदा दोनों स्वतंत्र गवाह श्री गणेश राम सैनी तथा श्री कमल सैनी उपस्थित मिले। जिनको मन् निरीक्षक पुलिस ने अब तक के हालात से अवगत कराया जाकर हमराह लेकर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु श्रीमाधोपुर जिला सीकर को रवाना हुआ।

समय 06:00 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के रिंगस पहुचा, जहां पर परिवादी ने बताया कि मेरी गाडी भी यहीं पर है जिस पर परिवादी के बताये अनुसार सीकर रोड की पुलिया से पहले सड़क के किनारे पर खडी परिवादी की गाडी के पास पहुंचकर बाद हिदायत परिवादी को स्वयं की गाडी आरजे 40 सीए 4009 में कानि0 श्री कमलेश नं0 293 के

साथ संदिग्ध को रिश्वत राशि सुपुर्द करने हेतु रवाना किया। तत्पश्चात् परिवादी स्वयं की गाडी आरजे 40 सीए 4009 को लेकर श्रीमाधोपुर रोड पर श्रीमाधोपुर की तरफ रवाना हुआ। जिसके पीछे–पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ते एवं गवाहान के साथ सरकारी वाहनों से रवाना होकर श्रीमाधोपुर पहुंचा। समय 06:30 पीएम पर परिवादी ने संदिग्ध श्री सोहनलाल से जरिये व्हाट्स एप्प कॉल पर वार्ता की तो संदिग्ध ने शनिश्चर मंदिर, श्रीमाधोपुर के पास मिलना बताया। परिवादी ने बताया कि उक्त वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है। रात्रि का समय होने से परिवादी को हिदायत की गई कि संदिग्ध द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर गाड़ी का इंडीगेटर जला कर ईशारा करें। परिवादी को उसकी गाडी से कानि0 श्री कमलेश नं0 293 के साथ संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता एवं गवाहान के सरकारी वाहन से परिवादी के वाहन के पीछे–पीछे कुछ दूरी बनाकर शनिश्चर मंदिर के पास पहुंचे। जहां पर परिवादी अपनी गाडी को लेकर शनिश्चर मंदिर के पास पहुंचा तथा सरकारी वाहनों को परिवादी की गाडी से कुछ दूर पहले रोककर परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारें के इंतजार में मूकीम हुये। तत्पश्चात परिवादी द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को पुनः इशारा करने पर मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी के पास पहुंचा, तब परिवादी ने बताया कि अभी संदिग्ध श्री सोहनलाल ने मुझे फोन कर कासल्डा रोड, श्रीमाधोपुर बाईपास पर बुलाया है। जिस पर परिवादी को कासल्डा रोड, श्रीमाधोपुर बाईपास हेतु रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस वापस सरकारी वाहन में आकर परिवादी के वाहन के पीछे–पीछे कुछ दूरी बनाकर कासल्डा रोड पर पहुंचे। जहां परिवादी द्वारा कानि0 श्री कमलेश को उक्त कासल्डा रोड, श्रीमाधोपुर बाईपास से कुछ दूरी पहले ही अपनी गाडी से उतार दिया तथा परिवादी अपनी गाडी लेकर आगे बढ गया। उक्त कासल्डा रोड, श्रीमाधोपुर बाईपास पर एक व्यक्ति पूर्व से रोड के किनारे मोटरसाईकिल लेकर खडा हुआ था, जिसके पास परिवादी ने अपनी गाडी को रोक दिया तथा परिवादी उक्त व्यक्ति से बातचीत करने लग गया, तब मन् निरीक्षक पुलिस ने सरकारी वाहनों को परिवादी की गाडी से कुछ दूरी पहले ही खडा कर गवाहान तथा जाब्ते को परिवादी तथा उक्त व्यक्ति की निगरानी की हिदायत की। थोडी ही देर में वह व्यक्ति परिवादी की गाडी में बैठ गया।

कुछ समय पश्चात परिवादी ने पूर्व में बताये अनुसार अपनी गाडी के इंडीगेटर चलाकर इशारा किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान तथा टीम के साथ परिवादी के वाहन के पास पहुंचकर गाडी के बांयी तरफ का आगे का दरवाजा खुलवाया। जिस पर परिवादी द्वारा पूर्व में सुपुर्द डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत करने पर उक्त रिकॉर्डर को लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने स्वयं के बांयी तरफ की सीट पर बैंठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह संदिग्ध श्री सोहनलाल है जिसने अभी मुझसे पूर्व में रिश्वत मांग के क्रम में रिश्वत प्राप्त की है। जिस पर परिवादी की गाडी में परिवादी के बराबर गाडी की आगे की सीट पर बैठे उक्त व्यक्ति को स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम आरोपी श्री सोहनलाल सैनी पुत्र श्री प्रहलाद मल सैनी जाति माली उम्र 57 साल निवासी ग्राम पोस्ट नांगल भीम वार्ड नं0 07, तहसील व पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल अधिवक्ता न्यायालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर होना बताया। तत्पश्चात परिवादी ने उक्त संदिग्ध श्री सोहनलाल की ओर ईशारा कर बताया की यही सोहनलाल (मध्यस्थ) है जिसने मेरे से अभी मेरे विरूद्ध पुलिस थाना श्रीमाधोपुर पर मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं0 452/22 में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद, हैडकानि0 से एफआर लगवाने की एवज में श्री राजेन्द्र प्रसाद हैडकानि0 के लिये 40,000/– रूपये की रिश्वत की मांग कर रिश्वत ली है। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस ने उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष उक्त संदिग्ध श्री सोहनलाल को परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर पहले तो संदिग्ध श्री सोहनलाल घबरा गया। फिर तसल्ली देकर पूछने पर संदिग्ध श्री सोहनलाल ने बताया कि श्री दूलचन्द के विरूद्ध पुलिस थाना श्रीमाधोपुर पर धारा 354 भादंसं में प्रकरण दर्ज है जिसका अनुसंधान श्री राजेन्द्र प्रसाद हैडकानि0 कर रहे है। श्री दूलचन्द ने स्वयं व सुभाष की अग्रिम जमानत करवाने के एवज में यह राशि दी है। जिस पर सोहनलाल से कोई वकालतनामा हो तो पेश करने के लिये कहा गया तो कोई वकालतनामा नहीं होना बताया और कहा कि थोई में जमीन के सेटलमेंट के बदले में दूलचन्द को 1,60,000/– रूपये दिये थे जिनमें से 40,000/– रूपये लिये है। जिस पर इस सम्बंध में कोई लिखापढी होने के सम्बंध में संदिग्ध सोहनलाल को पूछा गया तो उसने इनकार किया। मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि श्री सोहनलाल झूठ बोल रहे है इसने मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण में श्री राजेन्द्र प्रसाद

से एफआर दिलवाने की एवज में रिश्वत की मांग कर यह राशि ली है। परिवादी ने बताया कि श्री सोहनलाल ने मुझसे अभी रिश्वत की मांग करने पर मैंने उक्त रिश्वत राशि श्री सोहनलाल को दे दी, श्री सोहनलाल ने उक्त रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ में ले ली तथा आपको आता देखकर अपने पैरों की तरफ नीचे पायदान पर फेंक दी। जिस पर स्वतंत्र गवाहान से उक्त सोहनलाल के पैरों में गाडी की आगे की सीट के आगे चैक करवाया गया तो एक पांच सौ रूपये के नोटों की गड्डी बरामद हुई। जिनको स्वतंत्र गवाह श्री गणेश राम से गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के कुल 80 नोट कुल 40,000/– रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनॉथलीन पावडर सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। चूंकि मौके पर आम रास्ता होने के कारण लोगों की आमद रफत ज्यादा होकर भीड़ भाड बढने एवं संदिग्ध श्री सोहनलाल के स्थानीय होने के कारण अग्रिम कार्यवाही मौके पर किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होने से अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को अवगत कराये गये तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना रिंगस पहुंचकर सुनिश्चित करने हेतु संदिग्ध श्री सोहनलाल का दांया हाथ श्री कमलेश कानि0 से तथा बायां हाथ श्री पन्नालाल कानिं0 से पकड़वाकर सरकारी गाडी में बैठाया गया। संदिग्ध श्री सोहनलाल के कब्जे से बरामद रिश्वत राशि 40,000/– रूपयों को बाद हिदायत स्वतंत्र गवाह श्री गणेशराम को अपने पास सुरक्षित रखने हेतु दिये गये। मौके पर मौजूद आरोपी श्री सोहनलाल की मोटरसाईकिल की चाबी स्वतंत्र गवाह श्री गणेश राम को सुपुर्द कर सरकारी वाहन के पीछे–पीछे पुलिस थाना रिंगस लाने की हिदायत की गई। श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस मय कानि0 श्री सुभाष नं0 465 को संदिग्ध श्री राजेन्द्र प्रसाद, हैडकानि0 पुलिस थाना श्रीमाधोपुर को डिटेन करने एवं पत्रावली हेतु मय सरकारी वाहन के पुलिस थाना श्रीमाधोपुर हेतु रवाना किया गया।

समय 08:00 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय संदिग्ध श्री सोहनलाल तथा हमराहियान जाब्ता, गवाहान, परिवादी मय सरकारी वाहन के मौके से रवाना होकर पुलिस थाना रिंगस पहुंचा। जहां पर मौजूद ड्यूटी आफिसर श्री राजेन्द्र, मुख्य आरक्षक को परिचय देकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित स्थान हेतु निवेदन करने पर उनके द्वारा थानाधिकारी श्री हिम्मत सिंह, पुलिस निरीक्षक से वार्ता कर थाने में एक कमरा उपलब्ध करवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्रीगणेशराम भी आरोपी श्री सोहनलाल की मोटरसाईकिल लेकर पुलिस थाना रिंगस उपस्थित आया। जिस पर आरोपी की मोटरसाईकिल को थाना परिसर में सुरक्षित खडा करवाया गया। आरोपी की मोटरसाईकिल की चाबी ड्यूटी ऑफिसर को सुपुर्द कर आरोपी श्री सोहनलाल के परिवारजन को सुपुर्द करने की हिदायत की गई। इसी दौरान श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष अवगत कराया कि संदिग्ध श्री राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य आरक्षक पुलिस थाना श्रीमाधोपुर पर उपस्थित नहीं है। वह आज प्रातः ही थानाधिकारी, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर को स्वयं की माता जी तबियत खराब होने के कहकर घर पर जाना ज्ञात हुआ है। परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में उसके द्वारा नतीजा एफआर अदम वकू झूठ हेतु रिपोर्ट तैयार कर पत्रावली थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीमाधोपुर को सुपुर्द की गई है जो पत्रावली थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीमाधोपुर के कार्यालय की टेबल पर रखी हुई पाई गई है। जिसके प्रमाणित प्रति हेतु तहरीर थाने पर दे दी गई है। जिस पर सीकर एसीबी चौकी प्रभारी श्री राजेश जांगीड, उप अधीक्षक पुलिस को उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद, हैडकानि0 103 के निवास स्थान पर तलाश कर डिटेन करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु सरकारी वाहन से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर एक प्लास्टिक की बोतल में पीने का स्वच्छ पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में श्री सोहनलाल के दाहिने हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R–1 व R–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री सोहनलाल के बांये हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गधमेला हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L–1 व L–2 से चिन्हित कर संबंधित के

हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् रिश्वत राशि बरामदगी स्थान परिवादी की गाडी की आगे की बांयी तरफ की शीट के नीचे पायदान की जगह (जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई) का प्रक्रियानुसार एक कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट के घोल में एक सफेद कपडे की चिंदी से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क G–1 व G–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवन में उपयोग में ली गई कपडे की चिन्दी को सुखाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर मार्का 'C' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री गणेश राम द्वारा आरोपी श्री सोहनलाल के कब्जे से बरामद रिश्वत राशि मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत करने पर आरोपी श्री सोहनलाल के कब्जे से बरामदशुदा रिश्वती राशि 40,000/–रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार करने हेतु सुरक्षित ट्रैप बाक्स में रखा गया। तत्पश्चात बरामदा रिश्वत राशि 40,000/– रूपये तथा धोवन सेम्पलों को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया जाकर सरकारी वाहन में रखवाया गया। आरोपी श्री सोहन लाल सैनी के स्थानीय अधिवक्ता होने से थाने पर आवाजाही बढने से कार्यवाही बाधित होने की सम्भावना के मध्येनजर अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो मुख्यालय पर ही करना उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय आरोपी श्री सोहनलाल, मय जाब्ता एवं गवाहान तथा परिवादी के पुलिस थाना रिंगस से रवाना होकर समय 10:10 पीएम पर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा एवं अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

समय 10:50 पीएम पर श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता के ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आये तथा परिवादी के विरूद्ध पुलिस थाना श्रीमाधोपुर पर दर्ज प्रकरण सं0 452/2022 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द की। जिसका अवलोकन करने पर पाया कि संदिग्ध श्री राजेन्द्र प्रसाद, हैडकानि0 103 पुलिस थाना श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण में नतीजा अदम वकू झूठ में तैयार कर पत्रावली दिनांक 16.11.2022 को ही थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीमाधोपुर को सुपुर्द की है। तत्पश्चात उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति (पृष्ठ 01 से 96 तक) को शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री सोहन लाल सैनी पुत्र श्री प्रहलाद मल सैनी जाति माली उम्र–57 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट–नांगल भीम वार्ड नं.7 तहसील व पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल–अधिवक्ता,न्यायालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर की जामा तलाशी में मिला मोबाईल फोन कार्यवाही में बतौर वजह सबूत होने से जरिये फर्द जब्त कर एक सफेद कपडे की थेली में रखा जाकर सील मोहर कर मार्क SM अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया।

दिनांक 17.11.2022 को परिवादी एवं आरोपी श्री सोहनलाल, मध्यस्थ के मध्य रिश्वत आदान–प्रदान के दौरान श्री रामस्वरूप, पुलिस कर्मचारी, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर के सम्बंध में वार्ता कर रिश्वत प्रदान करने के सम्बंध में परिवादी श्री दूलचन्द द्वारा उक्त कर्मचारी के मोबाईल नम्बर 7014672460 पर वार्ता की गई, जिस पर उक्त तथाकथित रामस्वरूप द्वारा उक्त वार्ता में परिवादी को नहीं पहचानते हुये अनभिज्ञता जाहिर की गई है। इस सन्दर्भ में विस्तृत अनुसंधान कर उक्त श्री रामस्वरूप, पुलिस कर्मचारी की मामले में भूमिका के सम्बंध में पता लगाया जा सकता है।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री सोहनलाल द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य आरक्षक नं0 103, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी श्री दूलचन्द से उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं0 452/22 में एफआर दिलवाने की एवज में 40,000/–रूपये के अनुचित लाभ की मांग करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में दिनांक 17.11.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी सोहनलाल (मध्यस्थ) द्वारा परिवादी से उक्त कार्य के एवज में स्वयं तथा आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद के लिये 40,000/– रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) एवं 120 बी भादंसं में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री सोहनलाल को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् दिनांक 18.10.2022 को परिवादी की उपस्थिति में स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी व

आरोपीगण श्री सोहन लाल सैनी व श्री राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य आरक्षक के मध्य दिनांक 15.11.2022 को जरिये मोबाईल फोन हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं परिवादी व गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सोहन लाल सैनी के मध्य दिनांक 16.11.2022 एवं 17.11.2022 को हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता, जो वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, की फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष रिश्वती लेन–देन के समय हुई वार्ता की कम्प्यूटर के जरिये पांच सी.डी. तैयार कर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क SD' अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाकर रसीद प्राप्त की गई। आरोपी से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक से मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी को बाद पूछताछ माननीय न्यायाधीश महोदय को पेश किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य आरक्षक नम्बर 103, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) के प्रावधानानुसार लोकसेवक होते हुये आरोपी श्री सोहनलाल से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी श्री दूलचन्द से उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं0 452/22 में एफआर देने की एवज में 40,000/–रूपये के अनुचित लाभ की मांग पर सहमत होना तथा आरोपी श्री सोहनलाल सैनी पुत्र श्री प्रहलाद मल सैनी जाति माली उम्र 57 साल निवासी ग्राम पोस्ट नांगल भीम वार्ड नं0 07, तहसील व पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल अधिवक्ता न्यायालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य आरक्षक नं0 103 पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी श्री दूलचन्द से उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं0 452/22 में एफआर दिलवाने की एवज में 40,000/–रूपये के अनुचित लाभ की मांग कर दिनांक 17.11.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी से उक्त कार्य के एवज में स्वयं तथा आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद के लिये 40,000/– रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) एवं 120 बी भादंसं में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018व 120 बी भा.दं.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(रघुवीर शरण)
निरीक्षक पुलिस
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य आरक्षक, नम्बर 103, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर, जिला सीकर एवं 2. श्री सोहन लाल सैनी पुत्र श्री प्रहलाद मल सैनी, निवासी ग्राम पोस्ट नांगल भीम वार्ड नं. 07, तहसील व पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल अधिवक्ता न्यायालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 444/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

18.11.2022

(डॉ. विष्णु कान्त)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3844-47 दिनांक 18.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-2, जयपुर।
2. सचिव, बॉर काऊसिंल ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।